हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड पाँवटा साहिब द्वारा दिनांक 18.08.2025 को श्रीयुत जी जी एस माइंस एंड स्टोन क्रेशर मालिक श्री हरी कृष्ण शर्मा निवासी ग्राम एंड डाकघर घट्टी तहसील एंड जिला सोलन , (हि. प्र.) की मोजा मोहाल कनूथ जावाना , खसरा नंबर 63/1/2 और कुल खनन क्षेत्र 8.4377 हेक्टेयर (100.02 वीघा) तहसील पच्छाद , जिला सिरमौर , (हि. प्र.) भूमि पर रेत, बजरी, व बोल्डर खनन (क्षमता 100000 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब द्वारा दिनांक 18.08.2025 को श्रीयुत जी जी एस माइंस एंड स्टोन क्रेशर मालिक श्री हरी कृष्ण शर्मा निवासी ग्राम एंड डाकघर घट्टी तहसील एंड जिला सोलन सिरमौर, (हि. प्र.) की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई खुला स्थान कनूथ जावना ग्राम पंचयात बागथन, तहसील पच्छाद , जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई ।

प्रस्तावित खनन पट्टा मौजा मोहाल कनूथ जावाना , खसरा नंबर 63/1/2 और कुल खनन क्षेत्र 8.4377 हेक्टेयर (100.02 बीघा) तहसील पच्छाद , जिला सिरमौर , (हि. प्र.) भूमि पर रेत, बजरी, व बोल्डर खनन (क्षमता 100000 टन प्रति वर्ष हेतु, ई. आई. ए. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के अतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त दण्डाधिकारी,सिरमौर कि अध्यक्षता में किया गया । इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि **संलग्न-1** में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई कि पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। अन्त मे कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदया की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	नाम व पता	उठाये गए मुद्दे	मुद्दों पर टिपण्णी
1	श्री तिरमोहर सिंह, ग्रामवासी	हमने इस खनन परियोजना का बारीकी से अध्ययन किया है, और इसका	

		समर्थन करते हैं। हमारे इलाके में पहाड़ों की अंधाधुंध खुदाई जैसी अवैध खनन गतिविधियाँ होती आ रही हैं, और यह परियोजना हमें इनसे मुक्ति दिला सक्ती है। इससे हमें अपने ही गाँव में कम दामों पर रेत और बजरी भी मिल जाएगी , जबकि अभी हम ये सामग्री पांवटा और हरियाणा से ज़्यादा दामों पर खरीदते हैं। इसलिए यह परियोजना हमारे लिए लाभदायक और किफायती है, और इसीलिए हम इसका समर्थन करते हैं।	
2.	श्री भूपेन्द्र भण्डारी, पूर्व. प्रधान (जीती बचगा (समीपवर्ती पंचायत), गांव- वंजाल	हमें अपने क्षेत्र में इस परियोजना का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, लेकिन हमारा सुझाव है कि परियोजना प्रस्तावक आस-पास की पंचायतों, जीती बचगा और जीती बागतन के लोगों को 70-80% स्थानीय रोजगार प्रदान करें। • इन पंचायतों के लोगों को छूट या रियायत पर बजरी भी उपलब्ध कराएँ, क्योंकि इस खनन परियोजना के लाभ और हानि दोनों का सामना उन्हें ही करना पड़ेगा। इसलिए, खनन संघ को	श्री नरेंद्र सिंह नरुका (प्रोजेक्ट कंसल्टेंट), धन्यवाद महोदय। हम लोगों के कौशल और पंचायत सदस्यों के सुझावों व सिफारिशों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर रोज़गार उपलब्ध कराएंगे । • जहां तक स्थानीय लोगों को रियायती दर पर बजरी और अन्य सामग्री उपलब्ध

		भविष्य में प्रोत्साहन के रूप में स्थानीय लोगों को बजरी पर कुछ छूट देनी होगी। • हम उचित जल प्रबंधन का भी सुझाव देते हैं, क्योंकि हमारे गाँव के पास नरथारकाड है। अगर नरथारकाड से 1-2 किलोमीटर ऊपर की ओर एक चेकडैम बनाया जाए, तो हमारे गाँव में पानी की कमी दूर हो जाएगी। चूँकि इस बैठक में सभी संबंधित सदस्य उपस्थित हैं, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे पर विचार किया जाए, क्योंकि इससे जल संकट, धूल उत्सर्जन और फसल की बर्बादी को कम करने या दूर करने में मदद मिलेगी।	कराने की बात है, तो सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करने के बाद, हम स्थानीय लोगों को उनके मकानों के निर्माण के लिए बजरी उपलब्ध कराएंगे और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। • क्षेत्र में जल संकट की चिंता, जैसे कि चेकडैम का निर्माण, के लिए हमें अधिकृत नहीं किया गया है, क्योंकि ये कार्य सरकार के अधीन हैं। हालाँकि, हम इस संबंध में सहयोग के पूर्ण समर्थक हैं।
3.	चंद्र मणि, ग्राम-कुंडलू, ग्राम पंचायत-	कृपया खनन कार्यों के लिए स्थानीय गांव के ट्रैक्टरों और टिपरों का उपयोग करें।	श्री नरेंद्र सिंह नरुका (परियोजना सलाहकार), हाँ, खनन कार्यों के लिए

	बघटन		सभी स्थानीय वाहनों का उपयोग किया जाएगा।
4.	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत-वाजिका (उपप्रधान)	महोदय, इस क्षेत्र में मूलतः तीन समीपवर्ती पंचायतें शामिल हैं, अर्थात् वृधिनी, बचगा और भगतन। ये तीनों पंचायतें सामूहिक रूप से इस खनन परियोजना के लाभ और हानि दोनों का अनुभव करेंगी। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तीनों पंचायतों के लिए खनन परियोजना से होने वाली सुविधाओं और विकासात्मक लाभों पर विचार करें। मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप अधिक प्रतिभागियों के साथ एक और बैठक आयोजित करें, ताकि लोगों के अतिरिक्त सुझाव और प्रश्न उठाए जा सकें, क्योंकि आज की बैठक में केवल कुछ ही सदस्य उपस्थित हैं।	श्री नरेंद्र सिंह नरुका (परियोजना सलाहकार), हम खनन पट्टे से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र का अध्ययन करते हैं और उसके अनुसार अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसा कि आपने बताया, इस खनन परियोजना के अंतर्गत तीन निकटतम ग्राम पंचायतें आती हैं। इन तीनों पंचायतों के प्रधान मिलकर हर साल विकास कार्य कहाँ करवाने हैं, इस पर चर्चा और सहमति बनाएंगे और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।
5.	श्री आनंद परमार, ग्राम पंचायत	जैसा कि मैंने सुना है, आपको लगभग 2,700 पौधे लगाने हैं। मेरा एक अनुरोध है: कृपया खनन क्षेत्रों में अधिकतम पौधरोपण पर ध्यान केंद्रित करें, ऊपर से शुरू करके नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर नहीं।	महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हमने मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, खनन पट्टा क्षेत्र के 33% हिस्से में वृक्षारोपण का प्रस्ताव पहले ही दे

		यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे क्षेत्र में आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है, और खनन गतिविधियों के कारण होने वाले भूस्खलन की संभावना को कम करने और धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए पौधों की यथासंभव कम कटाई की जानी चाहिए, और यह उचित तरीके से किया जाना चाहिए। चूँकि बरसात का मौसम लगभग चार महीने ही रहता है, उसके बाद हमारे क्षेत्र में केवल धूल और रेत ही आती है। मैं प्रशासन से यातायात घनत्व को कम करने के लिए सड़क संपर्क में सुधार करने का भी अनुरोध करता हूँ, क्योंकि खनन गतिविधियाँ शुरू होने से यातायात में वृद्धि होती है और सड़कों को नुकसान होता है। इसलिए, मेरा मुख्य ध्यान पौधरोपण और पुनर्वास पर है, ताकि लोगों को सुरक्षा के साथ-साथ उचित सुविधाएँ भी मिल सकें।	दिया है। हम वृक्षारोपण के लक्ष्य को बढ़ाकर 3,000 पौधे करने का भी प्रयास करेंगे। खनन कार्य ऊपर से नीचे तक बेंच-वाईस तरीके से किया जाएगा ताकि संचालन के दौरान बेहतर सहयोग सुनिश्चित हो सके। सभी खनन गतिविधियाँ खनन विभाग द्वारा निर्धारित अनुमोदित खनन योजना के अनुसार संचालित की जाएँगी, और हमें हर छह महीने में खनन विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
6.	श्री संजीव तोमर, ग्राम पंचायत-वासनी (प्रधान)	मैं खनन पट्टे के सभी हितधारकों का समर्थन करता हूँ क्योंकि यह परियोजना हमारे क्षेत्र के विकास के लिए लाभदायक है। मैं समझता हूँ कि इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हो	महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हमने सड़कों के रखरखाव के लिए 5 लाख रुपये का एक अलग कोष प्रस्तावित किया

		सकते हैं, इसलिए मैं परियोजना प्रस्तावक से केवल यही अनुरोध करता हूँ कि वे सभी दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करें, ताकि भविष्य में हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित और लाभान्वित रहें। हमारा पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि जीवन पर कोई प्रभाव न पड़े, क्योंकि यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। सभी लोग इस खनन परियोजना के समर्थन में हैं। हालाँकि, मैं अपने क्षेत्र में उचित सड़क संपर्क का भी अनुरोध करता हूँ, क्योंकि खनन गतिविधियाँ शुरू होने के बाद यातायात घनत्व में वृद्धि होती है और भारी वाहनों के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कोई कमी न हो, और पर्यावरण की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास किए जाएँ।	है, और भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर हम इसे बढ़ाएँगे। सड़कें अच्छी स्थिति में न होने पर हमें भी नुकसान होता है, क्योंकि खनन गतिविधियों के लिए भारी वाहनों की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम समय-समय पर आवश्यकतानुसार सड़कों का रखरखाव सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही, हम क्षेत्र में पर्यावरण की बेहतरी के लिए भी अपना सहयोग देंगे, यही इस बैठक में हमारी उपस्थिति का उद्देश्य है।
7.	श्रीअतुल परमार (क्षेत्रीय अधिकारी) हिमाचल प्रदेश	सबसे पहले मैं इस बैठक में उपस्थित लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह एक खनन परियोजना है न कि स्टोन क्रशर परियोजना। साथ ही	महोदय, प्लांट स्थल मूलतः हमारी खदान स्थल से 1.5 किलोमीटर दूर है और पानी पास के ट्यूबवेलों से प्राप्त

	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब	मैं परियोजना प्रस्तावक से अनुरोध करता हूं कि कृपया स्पष्ट करें कि खनन परियोजना और क्रशर प्लांट के बीच कितनी दूरी है तथा खनन कार्य के दौरान जल छिड़काव के लिए आपको पानी कहां से मिलेगा तथा आपने इसका भंडारण कहां और कितनी मात्रा में किया, क्योंकि खनन कार्य के दौरान भारी वाहनों के आवागमन के लिए यह अनिवार्य है।	किया जाएगा तथा छिड़काव के लिए पानी हमारे खनन पट्टे के भीतर 5 प्रस्तावित चेक-डैमों से पानी संग्रहित करके प्राप्त किया जाएगा।
8.	श्रीअतुल परमार (क्षेत्रीय अधिकारी) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब	कृपया पंचायत को वाटर कूलर, सैनिटरी आइटम, इंसुलेटर, फर्नीचर और अन्य सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट करें।	महोदय, हम परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी (ई.सी.) प्राप्त होने के छह महीने के भीतर ये सभी सुविधाएं प्रदान कर देंगे, और हम इन्हें पांच साल तक प्रदान करते रहेंगे।
9.	ग्राम व्यक्ति, ग्राम पंचायत-वाजिका, उपप्रधान	महोदय, जैसा कि आपने बताया कि खनन क्षेत्र क्रशर प्लांट से 1.5 किमी दूर है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया परियोजना का सटीक स्थान बताएं।	महोदय, क्रशर प्लांट खदान स्थल के भीतर स्थित है, लेकिन हम जो खनिज निकालते हैं, अर्थात रेत और बजरी, उसे खदान स्थल से 1.5 किमी की दूरी पर संग्रहीत किया जाएगा।

10.	श्रीअतुल परमार (क्षेत्रीय अधिकारी) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब	कृपया अपने ड्राफ्ट ईआईए-ईएमपी रिपोर्ट में उल्लिखित क्षेत्र की वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता और मृदा गुणवत्ता के परिणामों को लोगों को स्पष्ट रूप से बताएँ, ताकि सभी को वर्तमान पर्यावरणीय परिस्थितियों की जानकारी मिल सके। साथ ही, कृपया उन पौधों की प्रजातियों के बारे में भी जानकारी दें जिन्हें आप लगाने की योजना बना रहे हैं, जैसा कि आपने क्षेत्र में 3,000 पौधे लगाने का उल्लेख किया है। मेरा सुझाव है कि ऐसी प्रजातियाँ लगाएँ जो प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकें, और जिनका आवरण ऊँचा हो ताकि पर्यावरण में धूल को रोका जा सके। ऐसी उपयुक्त प्रजातियों की एक सूची लगभग तीन साल पहले राज्य बोर्ड के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थी।	महोदय, यह क्षेत्र वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार अच्छे वायु गुणवत्ता सूचकांक में आता है। यहाँ की मिट्टी और पानी की गुणवत्ता भी स्वीकार्य सीमा के भीतर है। हम मुख्य रूप से स्थानीय प्रजाति के पौधे उगाते हैं और सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नियमित रूप से उनकी देखभाल करते हैं।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ मे अपने विचार / सुझाव / आप्पतियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावो, विचारो और टिप्पणियों को नोट किया गया है एवं इस जनसुनवाई की कार्यवाही को कलमबध कर आगामी

कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा। अंत मे जनसुनवाई के समापन पर अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया ।

अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर
नाहन,जिला सिरमौर (हि. प्र.)